



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 11.05.2025

थाना रमाला पुलिस ने शातिर गौकश/छीनैती की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों (02 घायलावस्था/01 अभियुक्त 25 हजार रुपये का ईनामी) को बाद पुलिस मुठभेड़ किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक गाडी ब्रेजा नं0 UK-08BC-1759 व गौकशी से सम्बन्धित उपकरण 02 अवैध चाकू, एक लकड़ी का बुगदा, 03 काली पन्नी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

19.03.2025 को
वादिनी ने लिखित
तहरीर दी कि
अभियुक्तों

1.बिजेन्द्र, 2.नदीम,
3.वसीम, 4.लल्ला,
5.पप्पू निवासीगण
ग्राम असारा थाना
रमाला जनपद
बागपत व दो अज्ञात
द्वारा उसके घर से
उसका बैल खोलकर
चोरी कर ले गये हैं ।
इस सम्बन्ध में थाना
रमाला पर



मु0अ0सं0 59/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया है ।

2-दिनांक 05.03.2025 को थाना रमाला पर वादी श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम सुजती थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि 03 अज्ञात बाईक सवार अभियुक्तों द्वारा उसके 1210 रुपये छीन लिए गए। इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 122/2025 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों 1-सनव्वर उर्फ फौंदी पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम असारा थाना रमाला बागपत हाल पता नई बस्ती थाना कोतवाली शामली जनपद शामली, 2-मोईन पुत्र मौजूद्दीन निवासी नई बस्ती थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शांतिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान थाना रमाला पुलिस द्वारा शांतिर गौकश/छीनैती की घटना

कारित करने वाले 03 अभियुक्तों (02 घायलावस्था/ 01 अभियुक्त 25 हजार रुपये का ईनामी) को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक गाडी ब्रेजा नं0 UK-08BC-1759 व गौकशी से सम्बन्धित उपकरण 02 अवैध चाकू, एक लकड़ी का बुगदा, 03 काली पन्नी बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 129/25 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-सनव्वर उर्फ फौंदी पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम असारा थाना रमाला बागपत हाल पता नई बस्ती मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली (घायल) (25 हजार का ईनामी अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 59/25 धारा 305 बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत व मु0अ0सं0 122/2025 धारा 304 बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत में वांछित)

2-मोईन पुत्र मौजूद्दीन निवासी नई बस्ती मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली । (घायल) (सम्बन्धित मु०अ०सं० 122/2025 धारा 304 बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत में वांछित)

3-मेहताब पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- एक गाडी ब्रेजा नं० UK-08BC-1759
- गौकशी से सम्बन्धित उपकरण 02 अवैध चाकू, एक लकड़ी का बुगदा, 03 काली पन्नी ।

गिरफ्तार अभियुक्त सनव्वर उर्फ फौंदी पुत्र मौ० उमर का आपराधिक इतिहास -

1-मु०अ०सं० 59/2025 धारा 305 बीएनएस 3/5/8 गौवध एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-मु०अ०सं० 62/03 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।

3-मु०अ०सं० 68/06 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-मु०अ०सं० 74/07 धारा 110जी सीआरपीसी थाना रमाला जनपद बागपत ।

5-मु०अ०सं० 33/11 धारा 307 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

6-मु०अ०सं० 36/11 धारा 420/467/468/471414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना रमाला जनपद बागपत ।

7-मु०अ०सं० 316/11 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

8-मु०अ०सं० 317/11 धारा 41/102 सीआरपीसी थाना रमाला जनपद बागपत ।

9-मु०अ०सं० 193/11 धारा 356/379/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।

10-मु०अ०सं० 194/11 धारा 307 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

11-मु०अ०सं० 200/12 धारा 457/380 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

12-मु०अ०सं० 34/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

13-मु०अ०सं० 193/14 धारा 392/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

14-मु0अ0सं0 898/18 धारा 147/302/201/404/414 भादवि थाना कोतवाली
शामली जनपद शामली ।

15-मु0अ0सं0 122/2025 धारा 304 बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त मोईन पुत्र मौजूद्दीन का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 08/2020 धारा 323/498-A/506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम
महिला थाना जनपद शामली ।

2-मु0अ0सं0 122/2025 धारा 304 बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-थाना प्रभारी श्री जितेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 मंयक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-है0का0 319 मनोज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

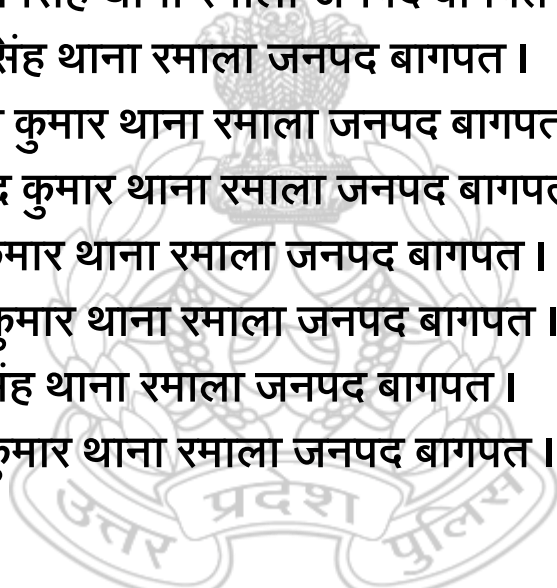
5-है0का0 119 योगेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

6-का0 952 मोहित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

7-का0 1032 ब्रजेश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

8-का0 907 धर्मेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

9-का0 813 दोसेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट
थाना चांदीनगर

दिनांक 11.05.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना



चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

धीर सिंह पुत्र इमरत निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-है०का० 186 इमरान खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक-11.05.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने मु0अ0सं0 111/2025 धारा 137(2)/64 बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधिनियम में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 111/2025 धारा 137(2)/64 बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधिनियम में वाँछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोहित पुत्र शौराज निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2- का0 1077 सन्तोष कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 11.05.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पच्चा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पच्चा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 152/25 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

बिल्लू पुत्र गजे सिंह निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 20 पच्चा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकस कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-का0 1021 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-का0 535 अतुल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।